BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL (P.B.)

DELHI

O.A. No. 215 OF 2024

IN THE MATTER OF:

Ankit Tiwari … Petitioner

Versus

ISKCON Prayagraj & Ors …Respondents

REPLY OF THE RESPONDENT No.4 ON THE O.A. FILED BY THE PETITIONER

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That the present matter is pending before this Hon'ble Tribunal and his next listed on 18.12.2025.
2. That the present matter pertains to the construction of three buildings, namely Ganga, Yamuna and Saraswati by the ISKCON Prayagraj, situated at A –161, Kashi Rajnagar, Baluaghat, Prayagraj, Uttar Pradesh. It has been averred by the petitioner that the three buildings, as above, so constructed by the ISKCON Prayagraj *de-hors* the provisions of law.
3. That with regard to the allegations and averments of the petitioner, a detailed report has been obtained from the Prayagraj Development Authority, which has been arrayed as Respondent No.04 in the present matter.
4. That Chairman, ISKCON applied for the sanction of the map towards the construction of temple. The land admeasured 7073.53 Sq Mtrs. The map was sanctioned vide sanction permit No. 85/Zone-9/Up.-23/Pra./2002-03 dated 17.05.2004.
5. That this map was subsequently amended and amended map was sanctioned vide sanction permit No. 145/ Pra. A. (Bhawan)/ Zone-2/2010-

11 dated 06.01.2011. Vide this sanction, the outer deadline for the completion of the project was 05.01.2016.

6. That construction was not completed by 05.01.2016. The Chairman, ISKCON vide letter dated 12.10.2018 applied for the extension of time.

7. That all the constructions in the "Development Area" are subject to the "Building Construction and Development By-laws, 2008" as amended from time to time.

8. That the By-laws, 2008 (as amended from time to time) provide that the sanctioned map / permit remains valid for the maximum period of 05 years. Before the lapse of 5th year, if the applicants submits and application for the extension of time, the Development Authority can extend the time after deposit of fee, but for a maximum period of three years, on such terms and conditions as may be imposed by the development authority. The relevant extract of the rule is as under:

Original provision:

3.1.5	**निर्माण अनुज्ञा पत्र की वैधता**	(I) समस्त अधिभोगों के भवनों हेतु एक बार दी गई अनुज्ञा अधिकतम 5 वर्ष के लिए वैध होगी। (II) पॉच वर्ष की प्रारम्भिक स्वीकृति की अवधि समाप्त हो जाने के पूर्व भू–स्वामी द्वारा प्रार्थना पत्र दिए जाने पर प्राधिकरण ऐसी शर्तो और प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए जो वह आरोपित करना उचित समझे, एक बार में एक वर्ष के लिए अधिकतम 3 बार स्वीकृति के नवीनीकरण की अनुमति निर्धारित शुल्क लेकर दे सकता है।

Amended provision:

3.1.5 (II)	पॉच वर्ष की प्रारम्भिक स्वीकृति की अवधि समाप्त हो जाने के पूर्व भू –स्वामी द्वारा प्रार्थना पत्र दिए जाने पर प्राधिकरण ऐसी शर्तो और प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए जो वह आरोपित करना उचित समझे, एक बार में एक वर्ष के लिए अधिकतम 3 बार स्वीकृति के नवीनीकरण की अनुमति निर्धारित शुल्क लेकर दे सकता है।	पॉच वर्ष की प्रारम्भिक स्वीकृति की अवधि समाप्त हो जाने के पूर्व भू–स्वामी द्वारा प्रार्थना पत्र दिए जाने पर प्राधिकरण ऐसी शर्तो और प्रतिबन्धो के अधीन रहते हुए जो वह आरोपित करना उचित समझे, **अधिकतम 3 वर्षों के लिए निर्धारित नवीनीकरण/मानचित्र शुल्क लेकर समयावृद्धि दे सकता है।**

9. That it is respectfully submitted that since the extension-application was preferred by the Chairman, ISKCON on 12.10.2018 and the initial / first permit lapsed on 05.01.2016, therefore, the extension-application was per-

se not maintainable. In such circumstance, the sanction granted to ISKCON lapsed by efflux of time, which cannot be extended any further.

10. That the coordinates of flood-plain (FPZ) has been identified by the CWC. The work of physical demarcation of Yamuna In district Prayagraj is in progress. After the work of demarcation is complete, appropriate decision for the demolition / compounding of impugned structure can be arrived at. However, as on date, no construction activity is in progress.

RESPONDENT

Through Counsel

17-7-11-25

(VIBHAV MISHRA)
Advocate-on-Record
Ch No.221, CK Daphtary Lawyers' Chamber
Tilak Lane, Supreme Court, Delhi-110001
(E): vibhavmishraoffice@gmail.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL (P.B.)

DELHI

O.A. No. 215 OF 2024

IN THE MATTER OF:

Ankit Tiwari ...Petitioner

Versus

ISKCON Prayagraj & Ors ...Respondents

AFFIDAVIT

I, Jitendra Singh Saharwar, S/o Babulal Saharwar, aged about 44 Yrs, presently posted as Town Planner of the Prayagraj Development Authority, having office at 7th and 8th Floor, Indira Bhawan, Civil Lines, Prayagraj, Uttar Pradesh, the above named deponent, de hereby depose and state on oath as under:

1. That the deponent, being posted as the officer as above, is the authorised and competent officer to depose the present affidavit having been well aware of the facts and circumstances of the present case.
2. That the above reply has been prepared by the empanelled counsel under my instructions on the basis of the report made available to him by the development authority.
3. That the deponent is deposing on the material available on record and nothing material is concealed herefrom.

JSingh

DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at Prayagraj on this, 16th Day of December, 2025 that the contents of the accompanying reply and the affidavit are true and correct to the best of the knowledge of the deponent derived out of records.

JSingh

DEPONENT

NOTARY
Manoj Kumar
Advocate Notary
Prayagraj
Reg. No. 56601
Validity 02.07.2030
GOVT. OF INDIA

SOLEMNLY AFFIRMED before me 16/12/2025 at AM
Sri/Smt. Jitendra Singh Saharwar
Identified by Mr.
Advocate to be his/her affidavit/a...
are true and correct Which is he...
Verified and attested.

Manoj K.
Advocate N...
Prayagraj
16/12/2025

IDENTIFIED BY

ADVOCATE PRAYAGRAJ

प्रयागराज विकास प्राधिकरण

प्रयागराज

अवर अभि0/सहा0अभि0/प्रभारी अधिकारी (त0स0)

कृपया क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक संख्या–G00776/NGTOA.NO.215/2024 दिनांक 16.08.2024 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–215/2024 अंकित तिवारी बनाम ईस्कॉन प्रयागराज व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.05.2024 के सन्दर्भ में मेसर्स ईस्कॉन प्रयागराज, ए–161 काशीराज नगर बलुआघाट प्रयागराज द्वारा कराये जा रहे भवन निर्माण कार्य के सम्बन्ध में विभागीय आख्या (बिल्डिंग मैप यदि स्वीकृत किया गया हो) एवं अन्य कार्यवाही से अवगत कराने हेतु सूचित किया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण में अवगत कराना है कि अध्यक्ष ईस्कॉन मन्दिर द्वारा स्थल 161 काशीराज नगर बलुआघाट प्रयागराज (क्षेत्रफल 7073.53 वर्गमीटर) पर प्रस्तावित ईस्कॉन मन्दिर के निर्माण हेतु प्रस्तावित मानचित्र परमिट संख्या–85/जोन–9/उप0–23/प्र0/2002–03 दिनांक 17.05.2004 के द्वारा तथा संशोधित मानचित्र परमिट सं0–145/प्र0अ0(भवन)/जोन–2/2010–11 दिनांक 06.01.2011 को स्वीकृत किया गया, जिसके अनुसार भवन निर्माण की प्रारम्भिक समयावधि दिनांक 05.01.2016 तक वैध थी। अध्यक्ष ईस्कान मन्दिर के द्वारा भवन अनुज्ञा की प्रदत्त समयावधि के उपरान्त दिनांक 12.10.2018 को समयवृद्वि हेतु आवेदन किया गया।

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 यथा संशोधित 2011 में संशोधन 2016 संशोधित 2023 के प्रस्तर–3.1.5 में समयवृद्वि हेतु प्राविधान निम्नवत् है :–

(I) समस्त अधिभोगों के भवनों हेतु एक बार दी गयी अनुज्ञा अधिकतम 5 वर्ष के लिए वैध होगी।

(II) पॉच वर्ष की प्रारम्भिक स्वीकृति की अवधि समाप्त हो जाने के पूर्व भू–स्वामी द्वारा प्रार्थना पत्र दिए जाने पर प्राधिकरण ऐशी शर्तो और प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए जो वह आरोपित करना उचित समझे, अधिकतम 3 वर्षो के लिए निर्धारित नवीनीकरण/मानचित्र शुल्क लेकर समयावृद्वि दे सकता है।

उपरोक्तानुसार ईस्कॉन मन्दिर के द्वारा 05 वर्ष की प्रारम्भिक स्वीकृति की अवधि दिनांक 05.01.2016 को समाप्त हो जाने के उपरान्त समयवृद्वि हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, अतएव उक्त कारण से मानचित्र की समयवृद्वि किया जाना सम्भव न होने के कारण स्वीकृत मानचित्र स्वतः निष्प्रभावी है। तद्नुसार सूचित किये जाने हेतु पत्रालेख तैयार कर दांयी ओर संलग्न कर दिया गया है। अवलोकन कर हस्ताक्षर हेतु अग्रसारित करना चाहे।

2024
भवन लिपिक (त0स0)

24/8/24
J.E

24/8/24
A.E

24/8/24

24/8/24

(अरविन्द कुमार चौहान)
उपाध्यक्ष, प्र0वि0प्रा0

प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज

24/08/2024

Annexure No. 08

प्रेषक,

मुख्य नगर नियोजक/प्र0आ0(त0रा0)
प्रयागराज विकास प्राधिकरण
प्रयागराज।

सेवा में

डॉ0 एस0सी0 शुक्ला
क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
आवास विकास परिषद कालोनी,
सेक्टर–10, योजना संख्या–3 झूँसी,
प्रयागराज–211019

पत्रांक :145/प्र0आ0(भवन)/जोन–2/वि0प्रा0/2010–11 दिनांक 24/08/2024

विषय :मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–215/2024 अंकित तिवारी बनाम ईस्कॉन प्रयागराज व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.05.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक स्वकीय पत्र संख्या–G00776/NGTOA.NO.215/2024 दिनांक 16.08.2024 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–215/2024 अंकित तिवारी बनाम ईस्कॉन प्रयागराज व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.05.2024 के सन्दर्भ में मेसर्स ईस्कॉन प्रयागराज, ए–161 काशीराज नगर बलुआघाट प्रयागराज द्वारा कराये जा रहे भवन निर्माण कार्य के सम्बन्ध में विभागीय आख्या (बिल्डिंग मैप यदि स्वीकृत किया गया हो) एवं अन्य कार्यवाही से अवगत कराने हेतु सूचित किया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण में अवगत कराना है कि अध्यक्ष ईस्कॉन मन्दिर द्वारा स्थल 161 काशीराज नगर बलुआघाट प्रयागराज (क्षेत्रफल 7073.53 वर्गमीटर) पर प्रस्तावित ईस्कॉन मन्दिर के निर्माण हेतु प्रस्तावित मानचित्र परमिट संख्या–85/जोन–9/उप0–23/प्र0/2002–03 दिनांक 17.05.2004 के द्वारा तथा संशोधित मानचित्र परमिट सं0–145/प्र0आ0(भवन)/जोन–2/2010–11 दिनांक 06.01.2011 को स्वीकृत किया गया, जिसके अनुसार भवन निर्माण की प्रारम्भिक समयावधि दिनांक 05.01.2016 तक वैध थी। अध्यक्ष ईस्कान मन्दिर के द्वारा भवन अनुज्ञा की प्रदत्त समयावधि के उपरान्त दिनांक 12.10.2018 को समयवृद्धि हेतु आवेदन किया गया।

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 यथा संशोधित 2011 में संशोधन 2016 संशोधित 2023 के प्रस्तर–3.1.5 में समयवृद्धि हेतु प्राविधान निम्नवत् है :–

(I) समस्त अधिभोगों के भवनों हेतु एक बार दी गयी अनुज्ञा अधिकतम 5 वर्ष के लिए वैध होगी।

(II) पाँच वर्ष की प्रारम्भिक स्वीकृति की अवधि समाप्त हो जाने के पूर्व भू–स्वामी द्वारा प्रार्थना पत्र दिए जाने पर प्राधिकरण ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए जो वह आरोपित करना उचित समझे, अधिकतम 3 वर्षों के लिए निर्धारित नवीनीकरण/मानचित्र शुल्क लेकर समयावृद्धि दे सकता है।

उपरोक्तानुसार ईस्कॉन मन्दिर के द्वारा 05 वर्ष की प्रारम्भिक स्वीकृति की अवधि दिनांक 05.01.2016 को समाप्त हो जाने के उपरान्त समयवृद्धि हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, अतएव उक्त कारण से मानचित्र की समयवृद्धि किया जाना सम्भव न होने के कारण स्वीकृत मानचित्र स्वतः निष्प्रभावी है।

भवदीय

(टी0पी0 सिंह)
मुख्य नगर नियोजक/
प्रभारी अधिकारी (त0स0)

प्रतिलिपि – उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।

मुख्य नगर नियोजक/
प्रभारी अधिकारी (त0स0)